

पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा (2)



- गांव के विकास के लिए वार्षिक कार्य योजना बनाना, उसे पास करना तथा पंचायतों द्वारा उसका क्रियान्वयन किए जाने पर उस पर, निगरानी रखना और उसके बारे में ग्राम सभा में बातचीत करना ; धारा 7 (ख) एवं (ग)।
- ग्राम पंचायत द्वारा किये गए आय-व्यय, और हिसाब-किताब पर विचार करना तथा ग्राम पंचायत को ऑडिट रिपोर्ट पर बातचीत करना और सही पाए जाने पर उसका अनुमोदन करना ; धारा 7 (ख) एवं (ग)।
- गांव स्तर के सभी सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना; धारा 7 (ठ)
- गांव की सार्वजनिक सेवाओं जैसे आंगनबाड़ी, राशन दुकान, स्कूल, उप स्वास्थ्य केन्द्र आदि को समीक्षा करना और उनमें आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करना एवं फैसला लेना।

